न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2024 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये मनजीत सिंह प्रवर्तन निरीक्षक माण्डल	बनाम	1. हरफूल सुथार पुत्र गोरधन सुथार निवासी कीडीमाल तहसील करेडा मालिक जय भण्डारा रिसोर्ट, होटल एण्ड गेस्ट हाउस किडीमाल तहसील करेडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 02. 07.2024 को किडीमाल स्थित हरफूल सुथार की होटल जय भण्डारा रिसोर्ट, के परिसर में आग लगने पर तथा विस्फोट होने से निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण पाया गया कि होटल परिसर में बायोडीजल का बोर्ड लगा हुआ था। मौके पर जले हुए 08 फ्रेम पाये गये जिनमें प्रत्येक में करीब 750 लीटर बायोडीजल की टंका का भण्डारण किया जाता हैं। होटल के बाहर जल हुयी गैस की टंकी पायी गयी जो इण्डेन कम्पनी की है। होटल के पीछे प्लास्टिक की 07 टंकियों में पेट्रोल पाया गया, जिसमें करीबन 600 लीटर पेट्रोल का भण्डारण थ। मौके पर मोटर मय पाईप लाईन पायी गयी। उक्त जांच से स्पष्ट है कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल /तरल पदार्थ का भण्डारण व विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का होटल में व्यावसायिक उपयोग र एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। मौके पर जब्तशुदा सामान को श्री सवाईभोज पैट्रोल पम्प के मैनेजर को संभलाया गया। अतः उक्त जब्तशुदा 07 प्लास्टिक की टंकियों में भण्डारित 600 लीटर पेट्रोल मोटर मय पाईप, 14.2 के. जी. का खाली गैस सिलेण्डर एवं 5 लीटर का मापा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल /तरल पदार्थ का भण्डारण व विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

20.11.25

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा